FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0162 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 17/06/2026 15:14 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 11/06/2026 **Date To (दिनांक तक):** 15/06/2026

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 16:30 बजे **Time To (समय तक):** 15:06 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 17/06/2026 **Time (समय):** 14:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 17/06/2026 15:14:24 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-EAST, 240 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** VAN CHAUKI, BARDHA BANDH JILA BUNDI

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** PREMCHAND

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** NANDLAL

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1997 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	**Address Type (पता का प्रकार)**	**Address (पता)**
1	वर्तमान पता	DEVRI, RATLAI, JHALAWAR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	DEVRI, RATLAI, JHALAWAR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	**Name (नाम)**	**Alias (उपनाम)**	**Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)**	**Address (पता)**
1	RUPARAM		पिता:CHAUKHARAM	1. PATALINADI,GIDA,बालोतरा, RAJASTHAN,INDIA
2	RAMAVTAR		पिता:BANSHIDHAR	1. SUJATAWALA KUA,SINGHANA,JHUNJHUNU,RAJASTHAN,INDIA
3	VIJENDRA NAGAR		पिता:RAMESHWAR NAGAR	1. DHEERPUR,NAINWA,BUNDI,RA
4	SABULAL		पिता:SHIVCHAND	1. BASAWA,NAWALGARH,JHUNJHUNU,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		10,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 10,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, हालात इस प्रकार है कि दिनांक 11.06.2026 समय 04.30 पी.एम. पर परिवादी प्रेमचन्द, चौकी भ्र.नि.ब्यूरो, कोटा उपस्थित आया और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, विजय स्वर्णकार को एक टाईपशुदा प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि “ प्रार्थी ग्राम रटलाई का निवासी हैं तथा प्रार्थी ने व्यवसाय के लिए जे.सी.बी. मशीन नं. आर.जे. 33 ई.ए. 0540 ले रखी हैं। प्रार्थी के मिलने वाले श्री बिरधीलाल पुत्र श्री रामदेव निवासी लक्ष्मीपुरा थाना तालेडा जिला बून्दी के कहने पर प्रार्थी जेसीबी मशीन को चलाने के लिए इनके गांव लक्ष्मीपुरा लेकर आया। प्रार्थी बिरधी लाल जी के गावं में खेत सुधार, खाद डालने, आदि कार्य कर रहा हैं दिनांक 10.06.2026 को मेरी मशीन बिरधीलाल जी के खाते के खेत पर चल रही थी तो रूपाराम फोरेस्ट गार्ड, अन्य फोरेस्टवालों के साथ आया तथा मुझे कहा कि तुम ये मशीन मेरी परमिशन के बिना नहीं चला सकते, मैने उससे पूछा कि क्या हुआ साहब तो उसने कहा कि अगर तुम्हे इस एरिये में मशीन चलवानी हैं तो हमें एक लाख रू. हर महीने के दे दो नहीं तो मशीन को यंहा से ले जाओ तथा मशीन बिना पैसे दिये दुबारा चलती हुई दिखाई दी तो जब्त करवा दूंगा जो तुमसें छुटेगी भी नहीं, उसके बाद उन्होने मेरे मोबाईल नम्बर लिये तथा मुझसें पैसे लेकर कल तक आने की कहकर चले गये, तथा अभी तक मैं नहीं गया तो रूपाराम मुझे बार-बार फोन कर रहा है। रूपाराम व अन्य गार्ड से मेरी जो बात हुई है वो मैने मेरे मोबाईल में रिकॉर्ड कर ली थी जिसको मैं आपको सुपुर्द कर दूंगा। मैं मेरे वैध कार्य की एवज में रूपाराम व अन्य फोरेस्ट गार्ड को रिश्वत राशि एक लाख रू. नहीं देना चाहता तथा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूं। मेरा इनसे पूर्व से कोई लेनदेन बकाया नहीं हैं, कार्यवाही करने की कृपा करें। प्रार्थी-प्रेमचन्द्र पुत्र श्री नन्दलाल जाति लुहार, उम्र 29 साल निवासी- ग्राम देवरी, थाना रटलाई जिला झालावाड मोबाईल नम्बर- ” परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र व मजीद दरयाप्त से मामला रिश्वत मांग का होने एवं भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की परिधि में आना पाया जाने से रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने सें कार्यालय में कार्यरत श्री नरेन्द्र सिंह है.कानि. 140 को कक्ष में बुलाकर परिवादी श्री प्रेमचन्द से आपसी परिचय करवाया गया तथा कार्यालय के मालखाने से डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के निकलवाया जाकर श्री प्रेमचन्द को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को चालु व बंद करने व रिकॉर्ड करने की विधि समझाई गई। परिवादी ने बताया की रूपाराम का मेरे पास कॉल आ रहा हैं वो मुझे रिश्वत लेने के लिए बुला रहा हैं। अतः डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के वास्ते रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु परिवादी को दिया गया। फर्द सुपूर्दगी डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर पृथक से तैयार की जाकर शामिल पत्रावली की गई तत्पश्चात मय श्री नरेन्द्र सिंह है.कानि. 140 को स्वंय के वाहन तथा परिवादी को उसकी मोटरसाईकिल से समय 6.00 पी.एम. पर रवाना किया गया। रात्री में समय 08.00 पी.एम. पर वास्ते रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु दिये गये, डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के श्री नरेन्द्र सिंह है.कानि. कार्यालय हाजा उपस्थित आया तथा अति पुलिस अधीक्षक को बताया कि मैं व परिवादी कार्यालय से रवाना होकर बरधा बांध से कुछ दूर पहले पहुंचे थे जंहा से मैने परिवादी को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर चालू करवाकर रिश्वत मांग के सत्यापन हेतु रवाना किया था, कुछ समय बाद परिवादी ने वापस आकर मुझे बताया कि मैं आपके पास से रवाना होकर फोरेस्ट भवन में गया था, वंहा पर मुझे रूपाराम, रामावतार, विजेन्द्र व अन्य गार्ड मिले थे जाते ही रूपाराम ने मुझसे जेसीबी मशीन के बारे मे पूछा तथा फिर रामनिवास जी से बात करने के लिए इशारा किया, जिस पर रामनिवास जी मुझे इशारा करके एक साईड में ले गये तथा मुझसें जेसीबी के लिए पूछा तथा फिर कहा कि- फोन पे हम कुछ भी बात नहीं करेगे, लेने-देन की किसी चीज की बात नहीं करेंगे, जब भी बात करेगें मिलके बात करेंगे तथा तेरे को शाम को बोल देंगे की जेसीबी चलानी हैं या नहीं, इसके बाद उन्होने मुझसें पूछा की तेरी कितने की बात हुई उनसें (रूपाराम से) जिस पर मैने कहा कि साहब साठ हजार की कही थी, मैं गरीब आदमी हूं कहां से

करूं, जिस पर रामवतार ने कहा कि पचास कर देना, करवा देंगे तेरा काम तथा फिर कहा कि अभी कितने लाया, जिस पर मैने कहा कि अभी तो कम ही हैं, तब रामावतार ने कहा कि कितने तो मैने कहा कि पांच सात हजार बाकी के एक दो दिन में कर दूंगा, तब रामावतार ने कहा कि ये तो दे बाकी के एक दो दिन में कर देना, जिसके बाद रामवतार मुझे अन्दर लेकर गया तथा मुझसें पैसे मांगे जिस पर मैने उसको मेरी जेब सें पांच-पांच सौ के 6 नोट निकालकर दिये जिनको गिनकर उन्होने बारह नोट 6 हजार रू. बताया मैने उनको पांच हजार रू. के लिए कहा तो उन्होने मुझे एक हजार रू. वापस दे दिये तथा बाकी के पैंतालीस हजार रू. एक दो दिन में लेकर आने के लिए कहा हैं, परिवादी के आवश्यक कार्य होने सें उसने कल सुबह कार्यालय में रिश्वती राशि लेकर आने के लिए कहा हैं तथा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड मुझे सुपुर्द करके वंहा बरधा बांध से ही सीधा लक्ष्मीपुरा निकल गया। अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजीटल वाईस रिकार्डर चलाकर सुना गया तो परिवादी द्वारा नरेन्द्र सिंह को कहे गये कथनों की ताईद हुई। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड को मालखाने में सुरक्षित रखा गया। दिनांक 12.06.2026 समय 11.30 ए.एम. पर आज ही ट्रेप कार्यवाही किये जाने की संभावना होने के कारण ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहान को लाने हेतु एक तहरीर कार्यालय पत्रांक 1351 दिनांक 12.06.2026 श्रीमान आयुक्त नगर निगम, कोटा के नाम जारी कर श्री सत्तार कानि. 158 को गवाह लाने हेतु रवाना किया गया। समय 01.00 पी.एम. पर परिवादी श्री प्रेमचन्द्र से श्री नरेन्द्र सिंह है.कानि. ने बात की तो परिवादी ने बताया कि मेरे घर पर आवश्यक कार्य आ गया था इसलिए मैं आपके कार्यालय में नहीं आ सका मैं थोडी देर में आता हूं। समय 01.30 पी.एम. पर श्री सत्तार कानि. 158 कार्यालय, आयुक्त नगर निगम, कोटा से दो कार्मिक श्री कपिल यादव पुत्र श्री मनेाज कुमार यादव जाति यादव उम्र 22 साल निवासी-हरे कृष्णा मन्दिर मुकन्दरा विहार, कोटा हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय, आयुक्त नगर निगम कोटा , मो0न0 श्री देवेश गुर्जर पुत्र श्री श्याम लाल जी गुर्जर जाति गुर्जर उम्र 26 साल निवासी- छोटे रामद्वारा के पास, किशोरपुरा कोटा, हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय आयुक्त नगर निगम कोटा ,मो0न0 को हमराह लेकर कार्यालय हाजा उपस्थित आया। गवाहान से परिचय प्राप्त कर गवाहान से ट्रेप कार्यवाही में शामिल होने की सहमति प्राप्त की, तो दोनो ने मौखिक स्वीकृति प्रदान की। दोनों स्वतंत्र गवाहान को अग्रिम कार्यवाही के क्रम में कार्यालय में बैठाया गया। समय 2.20 पी.एम. पर परिवादी श्री प्रेमचन्द कार्यालय हाजा उपस्थित आया तथा श्री विजय स्वर्णकार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि आज मैने तलाश किया तो तीनों गार्ड बरधा बांध पर उपस्थित नहीं हैं तथा ना ही लक्ष्मीपुरा चौकी पर आये हैं, एक दो दिन बाद मैं रिश्वती राशि लेकर आ जाऊंगा उसी दिन आप कार्यवाही करना, परिवादी के कहेनुसार आरोपीगण तीनों साथ नहीं हैं तथा अपने कार्यालय में उपस्थित नहीं हैं, अतः अग्रिम कार्यवाही के क्रम में परिवादी को कार्यालय में बैठाया गया। समय 2.30 पी.एम. पर श्री विजय स्वर्णकार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा मन् चन्द्र कंवर पुलिस निरीक्षक हाल भ्र.नि.ब्यूरो, इन्टेलीजेंस, कोटा, परिवादी व स्वतंत्र गवाहान को अपने कक्ष में बुलाया तथा सभी का आपसी परिचय करवाकर परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र मय रिकॉर्ड वार्ता का मूल मेमोरी कार्ड, गवाह तलबी पत्र, फर्द सुपुर्दगी एवं प्राप्ति डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय रनिंग नोट की पत्रावली, श्रीमती चन्द्र कंवर को सुपुर्द कर समस्त हालात से अवगत कराकर अग्रिम कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये। समय 02.50 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी व स्वतंत्र गवाहान के अपने कक्ष में आई तथा परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र व हालात की जानकारी प्राप्त की परिवादी ने प्रार्थना पत्र स्वंय द्वारा टाईप करवाना बताया तथा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता को सुना गया तो, परिवादी द्वारा श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक महोदय को पूर्व में बताये गये हालात की पुष्टि हुई इस पर दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री देवेश एवं श्री कपिल यादव को हालात बताये तथा होने वाली कार्यवाही से अवगत कराकर परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र को पढवाकर दोनों स्वतंत्र गवाहान कार्यवाही में बतौर गवाह रहने की सहमति चाही तो उन्होने मौखिक सहमति प्रदान कर परिवादी के प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर किये, तत्पश्चात समय 2.50 पी.एम. पर परिवादी श्री प्रेमचंद एवं आरोपीगण के मध्य दिनांक 11.06.2026 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, जिसको परिवादी द्वारा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया था, उक्त डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड को श्री नरेन्द्र सिंह हैड कानि. 140 द्वारा सरकारी लेपटॉप मे लगवाया जाकर रिकॉर्डेड वार्ता को लेपटॉप का स्पीकर चालू कर परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान को सुनाया गया। उक्त रिकॉर्डेड वार्ता में परिवादी ने एक आवाज स्वयं की एवं अन्य आवाजें आरोपी रूपाराम, रामावतार, विजेन्द्र, फोरेस्ट गार्ड व अन्य की होना पहचान कर बताया । समय 05.40 पी.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादी के मोबाईल में दिनांक 10.06.2026 को परिवादी द्वारा रिकॉर्ड की गई वार्ता को सुना तो रिकॉर्ड वार्ता से परिवादी की जेसीबी चलाने की एवज में रूपाराम एवं साबुलाल द्वारा एक लाख रू. की रिश्वत की मांग किये जाने की पुष्टि होती हैं, उक्त रिकॉर्ड वार्ता की परिवादी के मोबाईल से पृथक सें ट्रांसक्रिप्ट बनाकर शामिल फाईल किया जावेगा, चूंकि परिवादी ने कहा हैं कि वो आईन्दा जब भी कार्यवाही की जानी होगी उसी समय रिश्वती राशि लेकर कार्यालय भ्र.नि.ब्यूरो उपस्थित आयेगा तथा उक्त मोबाईल मे रिकॉर्ड वार्ता को पेन ड्राईव में लाकर उसी समय पेश करेगा, अतः परिवादी एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान को सूचना पर तुरंत कार्यालय में उपस्थित आने की आवश्यक हिदायत कर अपने-अपने गंतव्य के लिए रूखसत किया गया। दिनांक 14.06.2026 समय 3.07 पी.एम. पर श्री नरेन्द्र सिंह है.कानि. का मन पुलिस निरीक्षक के पास कॉल आया तथा बताया कि मेरी परिवादी से वार्ता हुई हैं, परिवादी ने कल दिनांक 15.06.2026 को कार्यवाही करने तथा प्रातः रिश्वती राशि लेकर कार्यालय में आने

के लिए कहा हैं। सूचना के क्रम में स्वतंत्र गवाहान व जाब्ता को सूचित किया गया। दिनांक 15.06.2026 समय 09.50 ए. एम. पर पूर्व सें पाबन्दशुदा श्री पृथ्वीराज मीणा, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट कोटा मय सरकारी वाहन मय चालक श्री घनश्याम के कार्यालय हाजा उपस्थित आये, जिनको अग्रिम कार्यवाही के क्रम में अवगत कराकर निर्देशानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु अवगत कराया गया। समय 10.45 ए.एम. पर पूर्व सें पाबन्दशुदा दोनों गवाहान श्री देवेश गुर्जर एवं श्री कपिल यादव कार्यालय हाजा उपस्थित आये। समय 11.15 पी.एम. पर परिवादी कार्यालय में उपस्थित आया तथा मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि मैं मेरी मशीन को संभालने चला गया था इसलिए सुबह आपके कार्यालय में नहीं आ सका था, आज मैने तलाश किया हैं साबुलाल चौकी लक्ष्मीपुरा तथा अन्य तीनों व्यक्ति वन चौकी बरधा बांध पर ही हैं तथा साबुलाल मुझे बार-बार फोन कर रहा हैं, तत्पश्चात परिवादी ने अपने पास से एक पेनड्राईव SMARTDISK कम्पनी कुल मेमोरी 4 GB का पेश कर बताया कि मेरे मोबाईल में दिनांक 10.06.2026 को रिकॉर्ड की गई वार्ता की मैने इस पेन ड्राईव में कॉपी की हैं, जो मैं आपको सबूत के तौर पर पेश कर रहा हू, इस पर परिवादी से उपरोक्त पेन ड्राईव पेश किये जाने के संबंध में 63 (4) सी प्रमाण पत्र प्राप्त कर शामिल फाईल किया गया। समय 11.30 पी.एम. पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री प्रेमचन्द ने अपने पास से निकालकर भारतीय मुद्रा के 500-500 रूपये के 30 नोट कुल राशि पन्द्रह हजार रूपये मन् पुलिस निरीक्षक को पेश किये, जिनके नम्बर निम्न प्रकार है-

क्र0स0	नोटों का प्रकार	नोटों का प्रकार
1.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	6 NF 488012
2.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	5 ES 252900
3.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	6 BS 668585
4.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	2 DK 786740
5.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	1 WH 098309
6.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	3 AV 976249
7.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	8 QA 823991
8.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	8 GM 980387
9.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	7 TW 535954
10.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	9 BB 841158
11.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	6 WR 281002
12.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	9 UD 633743
13.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	4 ND 665321
14.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	8 EH 659466
15.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	8 FK 879767
16.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	2 HP 663791
17.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	8 WN 570893
18.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	7 MW 426822
19.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	0 TD 158486
20.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	6 KL 537176

कार्यालय के मालखाने से श्री शिवनारायण सोनी के द्वारा फिनॉल्फथीलीन पाउडर की शीशी निकलवाई गई एक अखबार के ऊपर थोडासा फिनॉल्फ्थीलीन पाउडर डलवाकर उपरोक्त सभी नोटों पर फिनॉल्फ्थीलीन पाउडर भलीभांती लगवाया गया। गवाह देवेश गुर्जर सें परिवादी श्री प्रेमचन्द की जामा तलाशी लिवाई जाकर उसके पास पहने हुये कपडों में मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तू इत्यादि नहीं रहने दी गई। उक्त फिनॉल्फ्थीलीन पाउडर लगे नोटों को श्री शिवनारायण सोनी से परिवादी की पहनी हुई पेंट की दायीं जेब में रखवाई गई। एक डिस्पोजल प्लास्टिक गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा इस घोल में श्री शिवनारायण सोनी के फिनॉल्फ्थीलीन पाउडर युक्त दाहिने हाथ की अंगुलियों को घुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया इस प्रकार फिनॉल्फ्थीलीन व सोडियम कार्बोनेट के आपसी मिश्रण की प्रतिक्रिया को दृष्टांत देकर संबंधितों को समझाया गया। श्री प्रेमचन्द को हिदायत की गई की आरोपी व्यक्ति सें हाथ नहीं मिलावे और ना ही पाउडर लगे हुये नोटों को रास्ते में अनावश्यक रूप सें हाथ लगाये। आरोपी व्यक्ति के मांगने पर ही उक्त पाउडर लगे नोटों को अपनी पेंट की जेब मे से निकालकर उसे देवें तथा उसके द्वारा रिश्वत ग्रहण करने के पश्चात ट्रेप कार्यवाही के सदस्यों की ओर अपने सिर पर हाथ फेरकर अथवा मोबाईल पर मिसकॉल करके ईशारा करें। इसके बाद गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिकवाया गया। कार्यवाही में काम आने वाली कांच की शीशीयों मय ढक्कन को अच्छी तरह साबुन सें धुलवाकर साफ करवाया गया व प्लास्टिक के नये डिस्पोजल गिलास लिये गये। ट्रेप पार्टी के सदस्यों के हाथ साबुन व पानी सें अच्छी तरह धुलवाये गये। दोनों

गवाहान को हिदायत दी गई की परिवादी के आस-पास नजदीक रहकर श्री प्रेमचन्द एवं आरोपी के मध्य होने वाले रिश्वत के लेनदेन को देखने व वार्ता को सुनने का प्रयास करें। इसके पश्चात सरकारी डिजीटल वॉयस रिकार्डर में नया मेमौरी लगाकर परिवादी को उसें चलाने की विधि पुनः समझाई गई तथा डिजीटल वॉयस रिकार्डर परिवादी को सुपुर्द किया गया तथा हिदायत दी गई की आरोपी से होने वाली वार्ता को वॉयस रिकॉर्डर के कार्ड में रिकॉर्ड करें। समय 01.10 पी.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादी प्रेमचंद को अपनी मोटरसाईकिल से आगे-आगे तथा मन पुलिस निरीक्षक पुलिस मय सरकारी वाहान मय चालक, श्री तवंर सिंह, जाब्ता श्री नरेन्द्र सिंह, अभिषेक कानि. योगेश गोचर कानि. स्वतंत्र गवाह देवेश गुर्जर के मय ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों व सरकारी लेपटोप मय प्रिंन्टर, ट्रेप बॉक्स, सरकारी मोबाईल इत्यादि के तथा अन्य कार्यालस अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, स्पेशल युनिट कोटा के सरकारी वाहन मय चालक घनश्याम के श्री पृथ्वीराज मीणा पुलिस निरीक्षक, स्वतंत्र गवाह कपिल यादव, श्री जितेन्द्र सिंह है.कानि., श्री मनोज कानि., श्री योगेन्द्र सिंह कानि., श्री राधेश्याम कानि. के चौकी हाजा से रवाना हुये। समय 01.48 पी.एम. पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान मय जाब्ता के कोटा तालेडा से बरधा बांध की तरफ जाने वाले रास्ते पर पहुंचे जहा से परिवादी ने रूपाराम को फोन करके पूछा की मै तालेडा सामान लेने आया था आप कंहा हो, जिस पर रूपाराम ने कहा कि बरधा बांध ही हूं यंही आ जा, परिवादी ने बताया कि बरधा बांध की वन चौकी एक पठारी पर बनी हुई हैं तथा वंहा से कोई भी वाहन आसपास जाता हैं तो उनको दिखाई देता है, अतः मन पुलिस निरीक्षक द्वारा पहले उक्त स्थान का निरीक्षण करने हेतु श्री नरेन्द्र सिंह व अभिषेक कानि. को परिवादी की मोटरसाईकिल से रवाना किया गया, जिन्होने कुछ समय बाद वापस आकर बताया कि वन चौकी के गेट पर एक चाय की दुकान हैं तथा चौकी से कुछ दूर पहले मेन रोड पर वाहन खडे करने की जगह हैं तथा चौकी के गेट के सामने आसपास के गांव व बरधा बांध पर जाने का रास्ता हैं जिस कारण लोगों की आवाजाही रहती हैं तथा अभी दोपहरी का समय होने के कारण आरोपीगण कमरे सें बाहर नही आयेंगे अतः कार्यवाही को अंजाम दिया जा सकता हैं, अतः परिवादी को उसकी मोटरसाईकिल से आरोपीगण के पास रवाना किया गया तथा मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के परिवादी के पीछे-पीछे रवाना होकर बरधा बांध स्थित वन चौकी के पास पहंुचे,. श्री नरेन्द्र सिंह, हैड.कानि., श्री अभिषेक कानि., श्री योगेश कानि एवं श्री राधेश्याम कानि. को चौकी के मेनगेट के लिए रवाना किया तथा मन पुलिस निरीक्षक व अन्य जाब्ता मय वाहनों के मेनगेट से कुछ दूर पहले ही परिवादी के इशारे के इन्तजार में मुकिम हुये। दिनांक 15.06.2026 समय 03.06 पी.एम. पर रूबरू गवाहान के समक्ष परिवादी श्री प्रेमचन्द ने आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्ति का मन् पुलिस निरीक्षक को सिर पर हाथ फेर करके पूर्व निर्धारित ईशारा किया। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक, मय श्री पृथ्वीराज जी पुलिस निरीक्षक, दोनो स्वतंत्र गवाह श्री कपिल यादव एवं श्री देवेश गुर्जर, ट्रेप पार्टी के सदस्य, श्री नरेन्द्र सिंह हैड कानि.140, श्री जितेन्द्र सिंह है.कानि. 132 श्री अभिषेक चौधरी कानि. 197, श्री योगेश गोचर कानि. 291, श्री राधेश्याम कानि. 421, श्री योगेन्द्र सिंह कानि 282, श्री मनोज कानि. 211, के परिवादी के पास पहुंची तथा परिवादी से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड प्राप्त कर बन्द किया तथा परिवादी ने बताया कि मै कमरे में गया तो वंहा पर मुझे रूपाराम, विजेन्द्र व रामावतार मिले थे, रूपाराम जी ने मुझसें पूछा की कितने लाया हैं जिस पर मैने कहा कि दस हजार रू. लाया हूं जिस पर रूपाराम जी नाराज हुये तथा कहा की पूरे क्यों नहीं लाया तब मैने कहा कि साहब कल तक ले आऊंगा अभी तो यही हैं रख लो, जिस पर रूपाराम व विजेन्द्र जी सहमत हो गये थे तथा मुझसे पैसे पलंग पर रखने का इशारा किया जिस पर पैसे मै ंपलंग पर रखकर अन्य बात करके बाहर आया तथा आपको इशारा कर दिया, इस पर परिवादी को हमराह लेकर वन चौकी के गार्डन के गेट के पास बने हुये क्वार्टर की तरफ गई तो एक व्यक्ति क्वार्टर के पीछे जाता हुआ दिखाई दिया जिसको जाब्ते की मदद सें डिटेन कर क्वार्टर में प्रवेश किया जंहा पर एक व्यक्ति पलंग पर लेटा हुआ तथा एक व्यक्ति मोबाईल पर बात करता हुआ मिला, मन् पुलिस निरीक्षक ने श्री योगेश गोचर कानि. 291 से सरकारी मोबाईल मे लगे हुए मेमोरी कार्ड में होने वाली कार्यवाही की विडियो रिकॉर्डिंग करने के निर्देश दिये तथा उपरोक्त तीनों व्यक्तियों को अपना व हमराहियान का परिचय देते हुये आने के मंतव्य से अवगत कराया तथा उनसें उनका नाम पता पूछा तो तीनों ने अपना नाम पता निम्नानुसार बताया-1. रूपाराम पुत्र श्री चौखाराम जाति जाट उम्र 35 साल निवासी- गांव पटालीनाडी, तहसील गीडा जिला बालोतरा हाल वन रक्षक, चौकी लक्ष्मीपुरा, बून्दी, 2. रामावतार पुत्र श्री बंशीधर जाति माली उम्र 43 साल निवासी-गांव सुजातावाला कुंआ, सिंघाना, जिला झुंन्झुनु हाल वन रक्षक, चौकी लक्ष्मीपुरा, बून्दी व 3.विजेन्द्र नागर पुत्र श्री रामेश्वर नागर जाति धाकड उम्र 25 साल निवासी-ग्राम धीरपुर तहसील नैनवां जिला बून्दी हाल वन रक्षक, चौकी लक्ष्मीपुरा, बून्दी होना बताया तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने रूपाराम से परिवादी से ली गई रिश्वती राशि के बारे में पूछा तो बताया कि मैने इससे कोई रिश्वत नहीं ली हैं, जिस पर परिवादी ने रूपाराम की बात का खण्डन करते हुये कहा कि ये झूंठ बोल रहा हैं, इन्होने कुछ दिनों पहले मुझे बुलाया था तथा कहा था कि तेरी मशीन चलानी हैं तो एक लाख रू. दे दे नहीं तो मशीन जब्त करेंगे जिसके बाद मैं दिनांक 11.06.2026 को इनसें यंहा चौकी पर आकर मिला तो उस दिन इन लोगो ने पांच हजार रू ले लिये तथा बाकी के 45,000 रू. बाद मे देने के लिए कहा था जिस पर मैं आज इनको 10,000 रू. देने आया तो पहले तो इन्होने पूरे 45,000 रू. लाने के लिए कहा तथा फिर 10,000 रू. रख लिये तथा बाकी के कल देने के कहा था, ये मेरी मशीन से इस क्षैत्र में कार्य करने की एवज में रिश्वत की मांग कर रहे थे। परिवादी की वार्ता के क्रम में फिर से रूपाराम से पूछा तो कहा कि मैने इससे

कोई रूपये नहीं लिये आप मेरी तलाशी ले लो इस पर रामावतार व विजेन्द्र से परिवादी से ली गई रिश्वती राशि बाबत पूछा तो विजेन्द्र ने बताया कि अभी कुछ समय पहले ये प्रेमचंद यंहा पर आया था तथा रूपाराम से बात रहा था, फिर ये दोनों कमरे से बाहर चले गये तो मैने पलंग पर रखे हुये 10,000 रू. उठाकर मेरे पढने के इस किताब में रख दिये हैं, तीनों आरोपीगणो से उनका मोबाईल प्राप्त कर एयरोप्लेन मोड पर करवाया गया तथा स्वंतत्र गवाह के पास सुरक्षित रखवाया गया, जिन्हे पृथक से परिजनों को सुपुर्द किया जावेगा। रिश्वती राशि विजेन्द्र के कहेनुसार उसके पढने की किताब में रखे हुयें हैं तथा रिश्वती राशि किताब में रखने सें पहले परिवादी प्रेमचंद एवं रूपाराम रिश्वत के संबंध में आपस में बात कर रहे थे तथा फिर रिश्वती राशि पलंग पर रखकर दोनो ही कमरे से बाहर चले गये थे अतः दोनों आरोपीगण की हाथ धुलाई की कार्यवाही प्रारंभ की गई। रसोई के नल से साफ पानी मंगवाकर एक डिस्पोजल गिलास में पानी डलवाकर, गिलास में सोडियम कार्बोनेट पावडर डलवाया जाकर घोल तैयार करवाया गया तथा हाजरीन को दिखाया तो सभी ने घोल के रंग को रंगहीन होना बताया। आरोपी रूपाराम के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को गिलास के घोल में धुलवाया गया, तो धोवन का रंग गंदमैला आया जिन्हे दो कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सील चिट कर मार्क RRH-1, RRH-2 अंकित किया। इसके पश्चात बायें हाथ की अंगुलियों व अंगुठे का धोवन लिया जाने हेतु नल से े पानी लेकर एक डिस्पोजल गिलास में पानी डलवाकर, गिलास में सोडियम कार्बोनेट पावडर डलवाया जाकर घोल तैयार करवाया गया तथा हाजरीन को दिखाया तो सभी ने घोल के रंग को रंगहीन होना बताया उक्त गिलास के घोल में बायें हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को धुलवाया गया तो धोवन का रंग गंदमैला आया जिन्हे दो कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सील चिट कर मार्क RLH-1, RLH-2 अंकित किया। काम मे लिये गये दोनों डिस्पोजल गिलासों को जलवाया जाकर नष्ट करवाया गया। तत्पश्चात आरोपी विजेन्द्र की हाथ धुलाई प्रारम्भ की गई, रसोई के नल से साफ पानी मंगवाकर एक डिस्पोजल गिलास में पानी डलवाकर, गिलास में सोडियम कार्बोनेट पावडर डलवाया जाकर घोल तैयार करवाया गया तथा हाजरीन को दिखाया तो सभी ने घोल के रंग को रंगहीन होना बताया। आरोपी विजेन्द्र के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को गिलास के घोल में धुलवाया गया, तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी झांयी देता हुआ आया जिन्हे दो कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सील चिट कर मार्क VRH-1, VRH-2 अंकित किया। इसके पश्चात बायें हाथ की अंगुलियों व अंगुठे का धोवन लिया जाने हेतु नल से पानी लेकर एक डिस्पोजल गिलास में पानी डलवाकर, गिलास में सोडियम कार्बोनेट पावडर डलवाया जाकर घोल तैयार करवाया गया तथा हाजरीन को दिखाया तो सभी ने घोल के रंग को रंगहीन होना बताया उक्त गिलास के घोल में बायें हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी झांयी देता हुआ आया जिन्हे दो कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सील चिट कर मार्क VLH-1, VLH-2 अंकित किया। काम मे लिये गये दोनों डिस्पोजल गिलासों को जलवाया जाकर नष्ट करवाया गया। पास ही रखी हुई टेबल पर रखे हुई किताब, तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा को खोलकर देखा तो किताब के पेज नं. 2 तथा उसके बाद में हस्तलेख सें तहसीलदार बून्दी के नाम खसरा मिलान हेतु लिखी गई प्रार्थना पत्र के मध्य में नोट रखे हुये मिले उक्त नोटों को कपिल यादव से उठवाकर गिनवाया गया तो पांच पांच सौ रूपये के बीस नोट कुल दस हजार रूपये मिले उक्त नोटों के नम्बरों का मिलान स्वतंत्र. गवाहान से कार्यालय में बनी फर्द पेशकशी व दृष्टान्त में अंकित नम्बरों सें करवाया गया तो हूबहू मिलान होना पाया गया। उक्त नोटों को बतौर वजह सबूत जब्त कर कब्जे एसीबी लिया तथा नोटों को कागज के एक सफेद लिफाफे में रखकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे एसीबी लिया गया, तत्पश्चात किताब, तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा के पेज नं. 2 तथा उसके बाद में हस्तलेख सें तहसीलदार बून्दी के नाम खसरा मिलान हेतु लिखी गई प्रार्थना पत्र के मध्य स्थान जंहा से रिश्वती राशि बरामद हुई हैं उस स्थान का धोवन लिया जाने हेतु रसोई के नल से साफ पानी मंगवाकर एक डिस्पोजल गिलास में पानी डलवाकर, गिलास में सोडियम कार्बोनेट पावडर डलवाया जाकर घोल तैयार करवाया गया तथा हाजरीन को दिखाया तो सभी ने घोल के रंग को रंगहीन होना बताया। रजिस्टर के उक्त स्थान को रूई की चिन्दी से रगडकर गिलास के घोल में धुलवाया गया, तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी आया जिन्हे दो कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सील चिट कर मार्क C-1, C-2 अंकित किया तथा चिन्दी को सुखाकर पृथक से एक थैली में रखकर मार्क C अंकित किया एवं रजिस्टर को मय तहसीलदार बून्दी के नाम खसरा मिलान हेतु लिखी गई प्रार्थना पत्र के एक थैली में रखकर माक K अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात कमरे में उपस्थित रामावतार से आरोपी रूपाराम द्वारा परिवादी प्रेमचंद से ली गई रिश्वती राशि लेने में सहमति बाबत पूछा तो रामावतार ने बताया कि मैने इससे कोई रिश्वती राशि नहीं ली हैं मै तो यंहा पर सो रहा था, इस पर परिवादी ने कहा ये झूंठ बोल रहे हैं दिनांक 11.06.2026 को मैं यंहा पर रिश्वत मांग के संबंध में सत्यापन करवाने आया था उस समय रूपाराम व इन्होने ही मुझसें बात की थी ये मुझे इशारा करके एक साईड में ले गये तथा मुझसें जेसीबी के लिए पूछा तथा फिर कहा कि- फोन पे हम कुछ भी बात नहीं करेगे, लेन-देन की किसी चीज की बात नहीं करेंगे, जब भी बात करं ेगे मिलके े बात करेंगे तथा तेरे को शाम को बोल देंगे की जेसीबी चलानी हैं या नहीं, इसके बाद उन्होने मुझसें पूछा की तेरी कितने की बात हुई उनसें (रूपाराम) से जिस पर मैने कहा कि साहब साठ हजार की कही थी, मैं गरीब आदमी हूं कह ा से करूं, जिस पर इन्होने कहा कि पचास कर देना करवा देंगे तेरा काम तथा फिर कहा कि अभी कितने लाया, जिस पर मैने कहा कि अभी तो कम ही हैं, तब इन्होने कहा कि कितने तो मैने

कहा कि पांच सात हजार बाकी के एक दो दिन में कर दूंगा, तब इन्होने कहा कि ये तो दे बाकी के एक दो दिन में कर देना, जिसके बाद ये मुझे अन्दर लेकर आये यंहा पर ये विजेन्द्र जी भी मौजूद थे इनके सामने इन्होने मुझसें पैसे मांगे जिस पर मैने इनको मेरी जेब सें पांच-पांच सौ के 6 नोट निकालकर दिये जिनको गिनकर उन्होने बारह नोट 6 हजार रू. बताया मैने उनको पांच हजार रू. के लिए कहा तो उन्होने मुझे एक हजार रू. वापस दे दिये तथा बाकी के पैंतालीस हजार रू. एक दो दिन में लेकर आने के लिए कहा था। परिवादी ने दिनांक 10.06.2026 को अपने मोबाईल में हुई रिश्वत मांग की रिकॉर्डिंग को आज पेश किया था जिसमें आरोपी रूपाराम व साबुलाल द्वारा परिवादी से जेसीबी चलाने की एवज में ृएक लाख रू. की मांग की थी, अतः आरोपी साबुलाल को डिटेन किये जाने हेतु श्री पृथ्वीराज पुलिस निरीक्षक को चौकी लक्ष्मीपुरा के लिए रवाना किया गया। श्री योगेश कुमार कानि. से मोबाईल से की जा रही कार्यवाही की रिकॉर्डिंग को बन्द करवाया गया तथा मोबाईल सें मेमोरी कार्ड निकलवाकर सुरक्षित रखा गया। मेमोरी कार्ड की डबिंग पृथक सें बनाई जावेगी। आरोपीगणों के आवास की खानातलाशी बाबत उच्चाधिकारियों को अवगत कराया गया। तीनों आरोपीगणों से दिनांक 11.06.2026 को दौराने रिश्वत मांग सत्यापन के परिवादी से ली गई रिश्वती राशि 5000 रू. बाबत पूछा तो तीनों आरोपीगण ने एकमत से खर्च होना बताया। आरोपीगणो की पृथक-पृथक तलाशी स्वतंत्र गवाह कपिल से लिवाई गई तो आरोपी रूपाराम की पेंट की जेब में 1335 रू. मिले जिनको आरोपी ने अपने खर्चे के बैंक से निकलवाना बताया, उक्त रूपयों को सुरक्षित रखवाया गया, तत्पश्चात आरोपी विजेन्द्र की तलाशी लिवाई गई तो उसके पहने हुये कपडों में 350 रू. मिले जो उसने खर्चे के होना बताया उक्त नोटों को सुरक्षित रखवाया गया इसके बाद आरोपी रामवतार की तलाशी लिवाई गई तो उसके पहने हुये कपडों में कुछ नहीं मिला तत्पश्चात आरोपीगणो के उक्त आवास (क्वार्टर) में रखे हुये सामानों की तलाशी लिवाई गई तो आरोपी रामावतार के बेग में 6500 रू. मिले, जिनको रामावतार ने अपने खर्चे के लिये गांव से लाना बताया, उक्त नोटों को सुरक्षित रखवाया गया, तलाशी में मिले रूपयों को पृथक से परिजनों को सुपुर्द किये जायेंगे। समय करीबन 4.00 पी.एम. पर श्री पृथ्वीराज पुलिस निरीक्षक मय जाब्ता मय डिटेनशुदा आरोपी साबुलाल के वन चौकी बरधा बांध पर आये, साबुलाल से उसको नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम- साबुलाल पुत्र श्री शिवचंद जाति जाट उम्र 42 साल निवासी-बसावा पोस्ट बसावा तहसील नवलगढ जिला झुंझुनु हाल वनरक्षक, वन नाका नमाना जिला बून्दी हाल अस्थाई निवास वन नाका लक्ष्मीपुरा होना बताया, आरोपी साबुलाल से परिवादी से दिनांक 10.06.2026 को हुई रिश्वत मांग के संबंध में हुई वार्ता, जिसको परिवादी द्वारा मोबाईल में रिकॉर्ड किया गया था के संबंध मे पूछा गया कि आप व रूपाराम दिनंाक 10.06.2026 को वन चौकी लक्ष्मीपुरा में उपस्थित थे तथा दोनो ने परिवादी से उसकी जेसीबी को चलने देने की एवज में एक लाख रू. की मांग की थी, इस पर साबुलाल ने कहा कि मै उस समय इनके पास खडा था किन्तु मैने मेरे मुंह से इससे रिश्वत की मांग नहीं की, वन चौकी बरधा बांध पर उपरोक्त कार्यवाही के दौरान लाईट बार-बार बन्द हो रही थी तथा ट्रेप कार्यवाही में हाथ धुलाई एवं पूछताछ से संबंधित कार्यवाही पूर्ण हो चुकी थी, अतः अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु समय 4.30 पी.एम. पर रवाना होकर भ्र.नि.ब्यूरो चौकी कोटा पहुंचे तथा अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही एवं रिकोर्ड वार्ता को सुनने से पाया गया हैं कि परिवादी प्रेमचंद की जेसीबी को लक्ष्मीपुरा गांव के आसपास के क्षैत्र में चलने देने की एवज में परिवादी से आरोपी रूपाराम एवं साबुलाल द्वारा एक लाख रू. की मांग की गई तथा आरोपी रूपाराम द्वारा परिवादी को कॉल करके रिश्वत लेने हेतु बुलाया गया जिस पर दौराने रिश्वत मांग सत्यापन आरोपी रूपाराम व रामावतार ने परिवादी से रिश्वत मांग के संबंध में वार्ता कर, रामावतार द्वारा परिवादी को क्वार्टर के अन्दर ले जाकर विजेन्द्र के सामने 5000 रू. प्राप्त किये गये तथा शेष 45000 रू. एक दो दिन में लाने हेतु कहा गया तथा वक्त रिश्वत लेनदेन आरोपी रूपाराम द्वारा परिवादी से वार्ता कर पूरे पैसे नहीं लाने हेतु कहने तथा 10,000 रू. अभी लेने तथा शेष कल लाने पर सहमत होने तथा दोनों हाथों का धोवन गन्दमैला आने तथा आरोपी विजेन्द्र द्वारा रिश्वती राशि पलंग से उठाकर अपने रजिस्टर मे रखने तथा दोनों हाथों का धोवन हल्का गुलाबी झांयी देता हुआ आने, किताब के धोवन का रंग हल्का गुलाबी आने सें आरोपीगण 1. श्री रूपाराम पुत्र श्री चौखाराम जाति जाट उम्र 35 साल निवासी- गांव पटालीनाडी, तहसील गीडा जिला बालोतरा हाल वन रक्षक, चौकी लक्ष्मीपुरा, बून्दी, 2.श्री रामावतार पुत्र श्री बंशीधर जाति माली उम्र 43 साल निवासी-गांव सुजातावाला कुंआ, सिंघाना, जिला झुंन्झुनु हाल वन रक्षक, चौकी लक्ष्मीपुरा, बून्दी, 3. श्री विजेन्द्र नागर पुत्र श्री रामेश्वर नागर जाति धाकड उम्र 25 साल निवासी-ग्राम धीरपुर तहसील नैनवां जिला बून्दी हाल वन रक्षक, चौकी लक्ष्मीपुरा, बून्दी एंव 4. श्री साबुलाल पुत्र श्री शिवचंद जाति जाट उम्र 42 साल निवासी-बसावा पोस्ट बसावा तहसील नवलगढ जिला झुंझुनु हाल वनरक्षक, वन नाका नमाना जिला बून्दी हाल अस्थाई निवास वन नाका लक्ष्मीपुरा का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018), 61(2) बी.एन.एस का प्रथम दृष्ट्ािा प्रमाणित पाया जाने से दण्डनीय अपराध है। डिटेनशुदा आरोपी श्री रूपाराम, श्री रामावतार, श्री विजेन्द्र नागर एवं श्री साबुलाल को पृथक से जर्ये फर्द नियमानुसार गिरफ्तार किया जावेगा। समय 06.00 पी.एम पर उपरोक्त साक्षीगण के समक्ष आरेापी श्री रूपाराम को नोटिस दिया गया आपके व परिवादी श्री प्रेमचन्द के मध्य दिनांक 10.06.2026 को हुई रिश्वत मांग वार्ता जिसे परिवादी द्वारा अपने मोबाईल में रिकार्ड किया गया था, दिनांक 11.06.2026 को वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, दिनांक 15.06.2026 को वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता जिनको परिवादी द्वारा कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी काड्र्स में रिकॉर्ड की गई थी।

परिवादी के मोबाईल में हुई रिकॉर्ड वार्ता, डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी काड्र्स में रिकॉर्ड रिश्वत मांग सत्यापन एवं रिश्वत लेनदेन वार्ताओं में आपकी आवाज का मिलान का परीक्षण राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर सें करवाया जाना हैं जिसके लिए आपकी आवाज के नमुने की आवश्यकता है। इस संबन्ध में अपना स्पष्ट प्रतिउत्तर लिखित में प्रस्तुत करें, जिस पर आरोपी ने उसको पढकर उस पर अपने स्वयं के हस्तलेख से लिखकर दिया कि "मैं इच्छा से अपनी आवाज का नमूना नहीं देना चाहता हूं"। समय 06.30 पी.एम पर दोनो स्वतंत्र गवाहन के समक्ष आरोपी रामावतार को नोटिस दिया गया कि- आपके व परिवादी श्री प्रेमचन्द के मध्य दिनांक 11.06.2026 को वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, दिनांक 15.06.2026 को वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता जिनको परिवादी द्वारा कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे पृथक-पृथक मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड की गई थी। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी काड्र्स में रिकॉर्ड उक्त वार्ताओं में आपकी आवाज का मिलान का परीक्षण राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर सें करवाया जाना हैं जिसके लिए आपकी आवाज के नमुने की आवश्यकता है। इस संबन्ध में अपना स्पष्ट प्रतिउत्तर लिखित में प्रस्तुत जिस पर आरोपी ने उसको पढकर उस पर अपने स्वयं के हस्तलेख से लिखकर दिया कि " मैं स्वंय इच्छा से अपनी आवाज का नमूना नहीं देना चाहता हूं"। समय 6.35 पी.एम पर श्री पृथ्वीराज मीणा पुलिस निरीक्षक को मय सरकारी वाहन मय चालक के अपने जायद स्थान के लिए रवाना किया गया। समय 07.00 पी.एम पर दोनो स्वतंत्र गवाहन के समक्ष आरोपी विजेन्द्र को नोटिस दिया गया कि आपके व परिवादी श्री प्रेमचन्द के मध्य दिनांक 11.06.2026 को वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, दिनांक 15.06.2026 को वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता जिनको परिवादी द्वारा कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी काड्र्स में रिकॉर्ड की गई थी। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी काड्र्स में रिकॉर्ड उक्त वार्ताओं में आपकी आवाज का मिलान का परीक्षण राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर सें करवाया जाना हैं जिसके लिए आपकी आवाज के नमुने की आवश्यकता है। इस संबन्ध में अपना स्पष्ट प्रतिउत्तर लिखित में प्रस्तुत करें, जिस पर आरोपी ने उसको पढकर उस पर अपने स्वयं के हस्तलेख से लिखकर दिया कि "मैं स्वेच्छा से अपनी आवाज का नमूना नहीं देना चाहता हूं"। समय 07.30 पी.एम पर दोनो स्वतंत्र गवाहन के समक्ष आरोपी साबुलाल को नोटिस दिया गया कि आपके व परिवादी श्री प्रेमचन्द के मध्य दिनांक 10.06.2026 को हुई रिश्वत मांग वार्ता, जिसे परिवादी द्वारा अपने मोबाईल में रिकार्ड किया गया था। उक्त वार्ता में आपकी आवाज का मिलान का परीक्षण राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर सें करवाया जाना हैं जिसके लिए आपकी आवाज के नमुने की आवश्यकता है। इस संबन्ध में अपना स्पष्ट प्रतिउत्तर लिखित में प्रस्तुत करें, जिस पर आरोपी ने उसको पढकर उस पर अपने स्वयं के हस्तलेख से लिखकर दिया कि " मैं स्वच्छा में अपनी आवाज का नमूना नहीं देना चाहूता हूं"। समय 07.45 पी.एम. पर परिवादी श्री प्रेमचन्द द्वारा पूर्व में पेश पेन ड्राईव, जिसमे परिवादी द्वारा दिनांक 10.06.2026 को उसके एव आरोपीगण रूपाराम, साबुलाल, रामावतार एवं विजेन्द्र के मध्य रिश्वत मांग की हुई वार्ता को अपने मोबाईल में रिकॉर्ड किया गया था तथा मोबाईल से पेन ड्राईव में पेश किया गया हैं, उक्त वार्ता की रिश्वत मांग वाता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट बनाने हेतु पेन ड्राईव को श्री नरेन्द्र सिंह हैड कानि. 140 द्वारा सरकारी लेपटॉप मे लगवाया जाकर रिकॉर्डेड वार्ता को लेपटॉप का स्पीकर चालू कर परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान को सुनाया गया। उक्त रिकॉर्डेड वार्ता में परिवादी ने एक आवाज स्वयं की एवं दूसरी आवाजे आरोपीगण रूपाराम, साबुलाल, रामावतार एवं विजेन्द्र की होना पहचान कर बताया। उक्त वार्ता की मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशन में श्री नरेन्द्र सिंह हैड कानि. 140 द्वारा फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग वार्ता नियमानुसार तैयार करवाई जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 09.30 पी.एम पर आरोपी रूपाराम पुत्र श्री चौखाराम जाति जाट उम्र 35 साल निवासी- गांव पटालीनाडी, तहसील गीडा जिला बालोतरा हाल वन रक्षक, चौकी लक्ष्मीपुरा, बून्दी, के कृत्य से धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61(2) भारतीय न्याया संहिता का प्रथम दृष्ट्या अपराध प्रमाणित पाया जाने से आरोपी को गिरफ्तारी के आधार, कारणों एवं संवैधानिक अधिकारों से अवगत कराते हुए नियमानुसार गिरफ्तार कर हिरासत में लिया। समय 10.00 पी.एम पर आरोपी रामावतार पुत्र श्री बंशीधर जाति माली उम्र 43 साल निवासी-गांव सुजातावाला कुंआ, सिंघाना, जिला झुंन्झुनु हाल वन रक्षक, चौकी लक्ष्मीपुरा, बून्दी, के कृत्य से धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61(2)भारतीय न्याया संहिता का प्रथम दृष्ट्या अपराध प्रमाणित पाया जाने से आरोपी को गिरफ्तारी के आधार, कारणों एवं संवैधानिक अधिकारों से अवगत कराते हुए नियमानुसार गिरफ्तार कर हिरासत में लिया। समय 10.30 पी.एम पर आरोपी विजेन्द्र नागर पुत्र श्री रामेश्वर नागर जाति धाकड उम्र 25 साल निवासी-ग्राम धीरपुर तहसील नैनवां जिला बून्दी हाल वन रक्षक, चौकी लक्ष्मीपुरा, बून्दी, के कृत्य से धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61(2)भारतीय न्याया संहिता का प्रथम दृष्ट्या अपराध प्रमाणित पाया जाने से आरोपी को गिरफ्तारी के आधार, कारणों एवं संवैधानिक अधिकारों से अवगत कराते हुए नियमानुसार गिरफ्तार कर हिरासत में लिया। समय 11.00 पी.एम पर आरोपी श्री साबुलाल पुत्र श्री शिवचंद जाति जाट उम्र 42 साल निवासी-बसावा पोस्ट बसावा तहसील नवलगढ जिला झुंझुनु हाल वनरक्षक, वन नाका नमाना जिला बून्दी हाल अस्थाई निवास वन नाका लक्ष्मीपुरा, के कृत्य से धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61(2) भारतीय न्याया संहिता का प्रथम दृष्ट्या अपराध प्रमाणित पाया जाने से आरोपी को गिरफ्तारी के आधार, कारणों एवं संवैधानिक अधिकारों से अवगत कराते हुए नियमानुसार गिरफ्तार कर हिरासत में लिया। समय 11.30 पी.एम पर

परिवादी श्री प्रेमचन्द एवं आरोपीगण रूपाराम, विजेन्द्र एवं रामावतार के मध्य दिनांक 15.06.2026 को वक्त रिश्वत लेन-देन हुई वार्ता, जिसे परिवादी द्वारा डिजीटल वॉइस रिकॉडर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया था, डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड को श्री नरेन्द्र सिंह हैड कानि. 140 द्वारा सरकारी लेपटॉप मे लगवाया जाकर रिकॉर्डेड वार्ता को लेपटॉप का स्पीकर चालू कर परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान को सुनाया गया। उक्त रिकॉर्डेड वार्ता में परिवादी ने एक आवाज स्वयं की एवं दूसरी आवाजे आरोपीगण रूपाराम, विजेन्द्र एवं रामावतार की होना पहचान कर बताया। दिनांक 16.06.2026 समय 01.30 ए.एम पर उपरोक्त गवाहान के समक्ष आरोपीगण रूपाराम, साबूलाल,रामावतार व विजेन्द्र नागर एवं परिवादी श्री प्रेमचन्द के मध्य दिनांक 10.06.2026 को हुई रिश्वत मांग वार्ता जिसको परिवादी द्वारा अपने स्वयं के मोबाइल मे रिकोर्ड किया गया था, जिसका परिवादी द्वारा एक पेन ड्राईव SMARTDISK 4GB लाकर पेश किया गया। उक्त पेन ड्राईव में फाईल ।नकपव 2026.06.10 जो 10,760 KB है। दिनांक 11.06.2026 को आरोपीगण रूपाराम, रामावतार, विजेन्द्र व परिवादी श्री प्रेमचन्द के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जिसें डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे हुए मेमोरी कार्ड Sandisk 32 GB micro SDHC-1 में रिकॉर्ड किया गया था, उपरोक्त वार्ताओ की मेमोरी कार्ड में फाईल 260611_1842.mp3 जो 41,659 KB तथा आरोपीगण रूपाराम, विजेन्द्र, रामावतार एवं परिवादी श्री प्रेमचन्द के मध्य दिनांक 15.06.2026 हुई रिश्वत लेनदेन वार्ता जिसें डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे हुए मेमोरी कार्ड Sandisk 32 GB micro SDHC-1 में रिकॉर्ड किया गया था, उपरोक्त वार्ता की मेमोरी कार्ड में फाईल 260615_1448.mp3 जो 34,279 KB हैं, उक्त रिकॉर्ड वार्ताओं को श्री नरेन्द्र सिंह हैड कानि0 140 के द्वारा डिजीटल वाईस रिकार्डर के मेमोरी कार्डो व परिवादी द्वारा पेश पेन ड्राईव को लेपटोप मे कनेक्ट कर वार्ता की सभी फाईलों की हैस वैल्यू निकाली गई तथा उक्त वार्ताओ के SanDisk 32 GB Cruzer Blade TM USB 2.0 Flase Drive कंपनी के सात पेन ड्राईव तैयार करवाये गये, जिसमे से एक पेन ड्राईव माननीय न्यायालय के लिये, एक पेन ड्राईव नमूना आवाज के लिये व चार पेन ड्राईव आरोपीयो के लिये पृथक-पृथक कपडे की थैली मे रखकर सील्ड मोहर किये गये तथा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे हुए दो पृथक-पृथक मेमोरी कार्डो Sandisk 32 GB micro SDHC-1 को मेमोरी कार्डो के कवर में व पेन ड्राईव को पेनड्राईव के कंवर में रखकर, दोनो मेमोरी कार्डो व पेन डार्ईव को कवर सहित कपडे की पृथक-पृथक थैलियों में रखकर सील्ड मोहर कर सभी सील्ड मोहर थैलियों पर संबन्धितों के हस्ताक्षर करवाये तथा एक पेन ड्राइव कवर मे अनशील्ड अनुसंधान अधिकारी के लिये रखकर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात दौराने ट्रेप कार्यवाही सीजर की कार्यवाही के लिए कार्यालय के मोबाईल में लगे हुये मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB micro SDHC-1 में, जरिये मोबाईल श्री योगेश कुमार कानि0 291 द्वारा रिकॉर्ड किया गया था, जिसकी मेमोरी कार्ड मे दो फाईल क्रमशः 20260615_151851.mp4 जो 4,193,156 KB 20260615_155459.mp4, जो 13,09,209 KB की हैं। उक्त मोबाईल में लगे हुये मैमोरी कार्ड को कार्यालय के लेपटॉप से श्री नरेन्द्र सिंह हैड कानि. 140 के द्वारा लेपटोप पर कनेक्ट करवाकर उक्त मेमेारी कार्ड में रिकॉर्ड हुई विडियो रिकॉर्डिंग फाईलों की हैस वैल्यू निकाली गई तथा उक्त वीडियोग्राफी को जरिये लेपटॉप SanDisk 32 GB Cruzer Blade TM USB 2.0 Flase Drive कंपनी के एक पेन ड्राईव में पेस्ट किया गया तथा मूल मेमौरी कार्ड Sandisk 32 GB micro SDHC-1 को माननीय न्यायालय के लिए वजह सबूत जप्त कर कपड़े की थैली में रखा जाकर सील मोहर किया गया एवं कपडे की थैली पर सम्बधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। एक पेन ड्राइव को कवर मे अनशील्ड अनुसंधान अधिकारी के लिये रखकर शामिल पत्रावली किया गया फर्द प्रतिलिपिकरण व जब्ती पेन ड्राईव व मेमोरी कार्ड पृथक से मुर्तिब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात दोनों मेमोरी कार्ड व पेन ड्राईव की फर्द एंव हैश वेल्यू मुर्तिब की जाकर सम्बधितो को पढकर सुनाई गई, सुन समझ सही मान सभी ने अपने अपने हस्ताक्षर किये। समय 2.20 ए.एम.पर परिवादी श्री प्रेमचन्द, दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री कपिल यादव एवं श्री देवेश गुर्जर को अपने गंतव्य स्थान के लिए रूखसत किया गया। समय 02.30 ए.एम. पर गिरफ्तारशुदा आरोपीगण रूपाराम, रामावतार, विजेन्द्र एवं साबुलाल का स्वास्थ्य परीक्षण करवाने हेतु एक तहरीर क्रमांक स्पेशल-1 दिनांक 16.06.2026 ड्यूटी डॉक्टर, महाराव भीम सिंह चिकित्सालय, कोटा के नाम एव आरोपीगण को रात्रि सुरक्षा की दृष्टि से बाद स्वास्थ्य परीक्षण दाखिल हवालात करवाने की थानाधिकारी पुलिस थाना नयापुरा, कोटा के नाम तहरीर श्री जितेन्द्र िसह है.कानि. एवं हमराही जाब्ता मय आरोपीगण मय सरकारी वाहन जीप के महाराव भीम सिंह चिकित्सालय कोटा के लिए रवाना किया गया। समय 03.15 ए.एम. पर श्री जितेन्द्र िसह है.कानि. मय जाब्ता मय सरकारी वाहन जीप के बाद आरोपीगण का स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर एवं दाखिल हवालात कर कार्यालय हाजा उपस्थित आयें। समय 03.30 ए.एम पर ट्रेप कार्यवाही में जब्तशुदा आर्टिकल्स धोवन की शील्डशुदा 10 शीशीयां, शील्डशुदा 6 पेन ड्राईव, मूल रिकॉर्डिंग के दो मेमोरी कार्ड, परिवादी द्वारा पेश एक पेन ड्राईव, बरामदशुदा रिश्वती 10,000 राशि मय लिफाफा, किताब व चिन्दी का शील्डशुदा एक-एक पैकिट, को मालखाना प्रभारी श्री आशिक हुसैन सहायक उप निरीक्षक को सुपूर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। समय 10.10 ए.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के वास्ते घटना स्थल का नजरी नक्शा मौका मुर्तिब करने हेतु मय लेपटॉप प्रिन्टर व सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक के कोटा वन चौकी, बरधा बांध के लिये रवाना हुई। समय 10.40 ए.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के वास्ते घटना स्थल का नजरी नक्शा मौका मुर्तिब करने हेतु मय लेपटॉप प्रिन्टर व सरकारी वाहन

बोलेरो मय चालक के कोटा वन चौकी, बरधा बांध पहुंची, नजरी नक्शा मौका कसीद कर वापस रवाना होकर चौकी हाजा उपस्थित आये।उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही एवं रिकोर्ड वार्ता को सुनने से पाया गया हैं कि परिवादी प्रेमचंद की जेसीबी को लक्ष्मीपुरा गांव के आसपास के क्षैत्र में चलने देने की एवज में परिवादी से आरोपी रूपाराम एवं साबुलाल द्वारा एक लाख रू. की मांग की गई तथा आरोपी रूपाराम द्वारा परिवादी को कॉल करके रिश्वत लेने हेतु बुलाया गया जिस पर दौराने रिश्वत मांग सत्यापन आरोपी रूपाराम व रामावतार ने परिवादी से रिश्वत मांग के संबंध में वार्ता कर, रामावतार द्वारा परिवादी को क्वार्टर के अन्दर ले जाकर विजेन्द्र के सामने 5000 रू. प्राप्त किये गये तथा शेष 45000 रू. एक दो दिन में लाने हेतु कहा गया तथा वक्त रिश्वत लेनदेन आरोपी रूपाराम द्वारा परिवादी से वार्ता कर पूरे पैसे नहीं लाने हेतु कहने तथा 10,000 रू. अभी लेने तथा शेष कल लाने पर सहमत होने तथा दोनों हाथों का धोवन गन्दमैला आने तथा आरोपी विजेन्द्र द्वारा रिश्वती राशि पलंग से उठाकर अपनी किताब मे रखने तथा दोनों हाथों का धोवन हल्का गुलाबी झांयी देता हुआ आने, किताब के धोवन का रंग हल्का गुलाबी आने सें आरोपीगण 1. श्री रूपाराम पुत्र श्री चौखाराम जाति जाट उम्र 35 साल निवासी- गांव पटालीनाडी, तहसील गीडा जिला बालोतरा हाल वन रक्षक, चौकी लक्ष्मीपुरा, बून्दी, 2.श्री रामावतार पुत्र श्री बंशीधर जाति माली उम्र 43 साल निवासी-गांव सुजातावाला कुंआ, सिंघाना, जिला झंुन्झुनु हाल वन रक्षक, चौकी लक्ष्मीपुरा, बून्दी, 3. श्री विजेन्द्र नागर पुत्र श्री रामेश्वर नागर जाति धाकड उम्र 25 साल निवासी-ग्राम धीरपुर तहसील नैनवां जिला बून्दी हाल वन रक्षक, चौकी लक्ष्मीपुरा, बून्दी एंव 4. श्री साबुलाल पुत्र श्री शिवचंद जाति जाट उम्र 42 साल निवासी-बसावा पोस्ट बसावा तहसील नवलगढ जिला झंुझुनु हाल वनरक्षक, वन नाका नमाना जिला बून्दी हाल अस्थाई निवास वन नाका लक्ष्मीपुरा का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018), 61(2) बी.एन.एस का प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया जाने से दण्डनीय अपराध है। डिटेनशुदा आरोपी श्री रूपाराम, श्री रामावतार, श्री विजेन्द्र नागर एवं श्री साबुलाल को पृथक से जर्ये फर्द नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। अतः आरोपीगण 1. श्री रूपाराम पुत्र श्री चौखाराम जाति जाट उम्र 35 साल निवासी- गांव पटालीनाडी, तहसील गीडा जिला बालोतरा हाल वन रक्षक, चौकी लक्ष्मीपुरा, बून्दी, 2.श्री रामावतार पुत्र श्री बंशीधर जाति माली उम्र 43 साल निवासी-गांव सुजातावाला कुंआ, सिंघाना, जिला झंुन्झुनु हाल वन रक्षक, चौकी लक्ष्मीपुरा, बून्दी, 3. श्री विजेन्द्र नागर पुत्र श्री रामेश्वर नागर जाति धाकड उम्र 25 साल निवासी-ग्राम धीरपुर तहसील नैनवां जिला बून्दी हाल वन रक्षक, चौकी लक्ष्मीपुरा, बून्दी एंव 4. श्री साबुलाल पुत्र श्री शिवचंद जाति जाट उम्र 42 साल निवासी-बसावा पोस्ट बसावा तहसील नवलगढ जिला झंुझुनु हाल वनरक्षक, वन नाका नमाना जिला बून्दी हाल अस्थाई निवास वन नाका लक्ष्मीपुरा का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018), 61(2) बी.एन.एस. में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक महोदय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर को वास्ते क्रमांकन प्रेषित है। (चन्द्र कवंर) पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, इन्टे, कोटा, हाल भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा........कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमती चन्द्र कवंर, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, इन्टे. कोटा हाल, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61(2) बीएनएस 2023 में आरोपीगण 1- श्री रूपाराम पुत्र श्री चौखाराम जाति जाट उम्र 35 साल निवासी- गांव पटालीनाडी, तहसील गीडा जिला बालोतरा हाल वन रक्षक, चौकी लक्ष्मीपुरा, बून्दी 2- श्री रामावतार पुत्र श्री बंशीधर जाति माली उम्र 43 साल निवासी-गांव सुजातावाला कुंआ, सिंघाना, जिला झंुन्झुनु हाल वन रक्षक, चौकी लक्ष्मीपुरा, बून्दी 3- श्री विजेन्द्र नागर पुत्र श्री रामेश्वर नागर जाति धाकड उम्र 25 साल निवासी-ग्राम धीरपुर तहसील नैनवां जिला बून्दी हाल वन रक्षक, चौकी लक्ष्मीपुरा, बून्दी 4- श्री साबुलाल पुत्र श्री शिवचंद जाति जाट उम्र 42 साल निवासी-बसावा पोस्ट बसावा तहसील नवलगढ जिला झंुझुनु हाल वनरक्षक, वन नाका नमाना जिला बून्दी हाल अस्थाई निवास वन नाका लक्ष्मीपुरा के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्रीमती अनीता वर्मा, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. कोटा को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 300 पर अंकित है। (गोरधन लाल सौंकरिया) पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 988-91 दिनांक 17.06.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा 2- उप वन संरक्षक, जिला बूंदी 3- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज कोटा 4- अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा । पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** ANITA VERMA **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gordhan Lal Sonkaria
Location: Rajasthan,IN
Date: 17/06/2026 15:18:56

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GORDHAN LAL SONKARIA

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1991				
2	Male	1983				
3	Male	2001				
4	Male	1984				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)